भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
सत्यमेव जयते
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8 बी/यू.सी.पी./06/137/2021/एफ.सी. **दिनांकः As per E-sign**

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः जनपद-चमोली में आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.383 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/145620/2021).

सन्दर्भः कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1603/12-1: देहरादूनः दिनांक 11-12-2024 (received online on 21.03.2025).

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विषयांकित प्रस्ताव पर एफ़आरसीएम की बैठक दिनांक 25.11.2022 में चर्चा की गई। बैठक के MoM दिनांक 30.11.2022 द्वारा प्रस्ताव में प्रभावित हो रही ज़्यादा घनत्व वाली वन भूमि के स्थान पर कोई अन्य वाकल्पिक संरेखण खोजने हेतु निर्देशित किया गया था जिसका जवाब राज्य शासन के संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है। प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन उपरांत राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेः

1. State government shall submit a Technical justification that only proposed alignment is suitable for construction of road and other alignments are not fit for the construction of the road. The technical comparative statement for both proposed road and alternate alignments shall also be submitted.
2. State Government shall submit/ upload CA details (CA Scheme as per current rate, KML file, suitability certificate, maps etc).
3. Tree enumeration list in current scenario shall be submitted/ uploaded.
4. The beneficiary village is already connected with road and felling of total 45 numbers of Baanj trees is involved. Therefore, proposal is liable to be rejected. Clarification in this regard shall be submitted.

5. The User Agency shall submit details of IRC norms for road in hilly area and how the User Agency will comply to the said norms with proper justification.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

Digitally signed by
Neelima Shah
Date: 24-04-2025
13:06:39

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।